



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 34-2026] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 21, 2026 (SRAVANA 30, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अगस्त, 2026

संख्या 3/14-3Food-II-2026/6027.—

विषय: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) के अधीन हरियाणा राज्य में एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे किसी भी चाहे उसके साथ कोई उपसर्ग, प्रत्यय अथवा अन्य अर्हक शब्द या प्रयोग हो या न हो, उत्पाद के विनिर्माण, भंडारण, वितरण (परिवहन सहित) और विक्रय पर प्रतिबंध, जिसे "घी" के रूप में लेबल किया गया हो, वर्णित किया गया हो, बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया हो या बेचा जाता हो, जब तक कि वह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.8 में निर्धारित घी के मानक के अनुरूप न हो; तथा लोक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के हित में पूर्व-पैकेजित मिठाइयों पर लागू लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए निर्देश।

यहकि सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता तथा उसके संबंध में सही और पर्याप्त जानकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है तथा अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन-स्तर में सुधार करे तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि मानव जीवन और स्वास्थ्य के समुचित संरक्षण को सुनिश्चित करना राज्य और उसके प्राधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 47 के साथ पढ़े जाने पर मूल अधिकार से जुड़ा दायित्व है।

और यहकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 18(1) में अधिनियम के प्रशासन के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांत निर्धारित हैं। इनमें मानव जीवन और स्वास्थ्य की समुचित सुरक्षा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना भी शामिल है, प्रमुख हैं। साथ ही, विनियामक उपाय आनुपातिक होने चाहिए और स्वास्थ्य की आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितना आवश्यक हो, उससे अधिक व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

और यहकि अधिनियम की धारा 30(2)(क) राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लोक स्वास्थ्य के हित में और लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य या उसके किसी क्षेत्र में किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है, यदि यह मानने के उचित आधार हों कि ऐसा खाद्य पदार्थ असुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

और यहकि घी का मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.8 (दुग्ध वसा उत्पादों के मानक) में निर्धारित है। इसके अनुसार दुग्ध वसा, घी, बटर ऑयल, निर्जल दुग्ध वसा और निर्जल बटर ऑयल केवल दूध अथवा दूध से प्राप्त उत्पादों से बने वसायुक्त उत्पाद हैं। घी में नमी अधिकतम 0.5 प्रतिशत और दुग्ध वसा न्यूनतम 99.5 प्रतिशत होनी चाहिए तथा ब्यूटायरो-रिफ़ैक्टोमीटर पाठ्यांक, रीखर्ट-मीसल मान, पोलेंस्के मान, मुक्त वसा अम्ल, आयोडीन मान, साबुनीकरण मान, वसा अम्ल संघटन और बीटा-साइटोस्टेरोल की अनुपस्थिति आदि निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। ये मापदंड विशेष रूप से वनस्पति तेल या किसी अन्य गैर-दुग्ध वसा की उपस्थिति का पता लगाने और उसे बाहर रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

और यहकि उक्त विनियमों के विनियम 2.1.1(3)(च) के अनुसार "घी" एक दुग्ध संबंधी पद है और यह विनियम 2.1.1(1)(च) के तहत परिभाषित दुग्ध उत्पाद तथा विनियम 2.1.8 के तहत निर्दिष्ट दुग्ध उत्पाद का नाम है। इसलिए "घी" शब्द का प्रयोग, चाहे अकेले किया जाए या किसी अन्य शब्द के साथ, किसी ऐसे उत्पाद के नाम, लेबल, वाणिज्यिक दस्तावेज, प्रचार सामग्री या विक्रय-स्थल पर प्रदर्शित विवरण में नहीं किया जा सकता जो दूध, दुग्ध उत्पाद या मिश्रित दुग्ध उत्पाद नहीं है। यदि कोई उत्पाद किसी दुग्ध उत्पाद के विकल्प के रूप में बनाया गया है, तो किसी भी अस्वीकरण, स्पष्टीकरण, उपसर्ग या प्रत्यय के साथ भी दुग्ध संबंधी पदों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

और यहकि यह देखा गया है कि वनस्पति तेल, वनस्पति वसा, वनस्पति अथवा अन्य गैर-दुग्ध वसा से पूर्णतः या आंशिक रूप से बने उत्पाद हरियाणा में ऐसे नामों, विवरणों या लेबलों के साथ बनाए, पैक, वितरित और बेचे जा रहे हैं जिनमें "घी" शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे "पूजा हेतु घी", "दीया हेतु घी", "वनस्पति घी", "कुकिंग घी", "टेबल घी" और "हवन हेतु घी", जबकि ऐसे उत्पाद विनियम 2.1.8 में निर्धारित घी के मानक के अनुरूप नहीं हैं और न ही उनके अनुरूप होने का कोई दावा कर सकते हैं।

और यहकि यह भी देखा गया है कि कुछ खाद्य कारोबार कर्ता वनस्पति तेलों और वनस्पति वसाओं में रासायनिक पदार्थ, सुगंध और कणिकायन कारक मिलाकर ऐसा पदार्थ तैयार कर रहे हैं जो वास्तविक घी के दानेदार स्वरूप, सुगंध और अन्य पहचान योग्य गुणों की नकल करता है। ऐसे पदार्थों को "दीया हेतु घी" या "पूजा हेतु घी" जैसे भ्रामक नामों से पैक, भंडारित, वितरित और बेचा जा रहा है तथा उन्हें वास्तविक घी के रूप में उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे पदार्थों का वास्तविक घी के स्थान पर मिठाइयों की तैयारी में भी उपयोग किया जा रहा है। यह उत्पाद की वास्तविक प्रकृति, संरचना और स्रोत के संबंध में जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और आर्थिक हितों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। इसलिए ऐसे किसी रासायनिक रूप से तैयार गैर-दुग्ध-वसा पदार्थ को "घी" के नाम से या ऐसे किसी नाम, चिह्न, रूप या प्रस्तुति के माध्यम से, जिससे "घी" का संकेत मिलता हो, किसी भी रूप में नामित, वर्णित, लेबल, विपणित, विज्ञापित, भंडारित या बेचा नहीं जाएगा।

और यहकि दुग्ध वसा से पूरी तरह प्राप्त न होने वाले उत्पाद के लिए "घी" शब्द का प्रयोग उपभोक्ता को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और संरचना के बारे में भ्रमित करता है। बिक्री के समय प्रयोगशाला जांच के बिना उपभोक्ता ऐसे उत्पाद को वास्तविक घी से विश्वसनीय रूप से अलग नहीं कर सकता। इससे वास्तविक दुग्ध वसा की पोषण संबंधी और संरचनात्मक गुणवत्ता की कोई सुनिश्चितता नहीं रहती और वास्तविक घी के नाम पर बिक्री तथा उसमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है।

और यहकि यह भी देखा गया है कि मार्जरीन या वनस्पति वसा स्प्रेड, जो वनस्पति तेल और वसा से बनते हैं और दूध से प्राप्त नहीं होते, उन्हें भी दुकानों, मिठाई की दुकानों, ढाबों और कैटरिंग प्रतिष्ठानों में कई बार खुले या बिना लेबल के बेचे जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को "बटर" या "मक्खन (खस्तौर से पराठे / चपाती के साथ)" के रूप में दिए जा रहे हैं, जबकि वे निर्धारित बटर मानक के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा गलत प्रस्तुतीकरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और आर्थिक हितों के लिए हानिकारक है।

और यहकि पूर्व-पैकेजित खाद्य पदार्थों, विशेषकर लड्डू और घेवर सहित मिठाइयों की लेबलिंग में कभी-कभी उनकी तैयारी में प्रयुक्त वास्तविक सामग्री या माध्यम का सही उल्लेख नहीं होता। ऐसी मिठाइयां "देसी घी में तैयार" बताकर बेची जाती हैं, जबकि वास्तव में उनमें रिफाईंड तेल, वनस्पति तेल या अन्य प्रकार की वसा का उपयोग किया जाता है।

और यहकि खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियम 2.5.1 के अनुसार, लड्डू या घेवर सहित मिठाइयों में यदि देसी घी, वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है, तो पैकेज पर तैयारी के माध्यम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए—यथास्थिति, "देसी घी में तैयार" अथवा "वनस्पति वसा/वनस्पति तेल में तैयार"—और इसके साथ संबंधित निर्धारित हिंदी घोषणा भी दी जानी चाहिए। यह घोषणा खुले और बंद बॉक्स/पैकेज के कम से कम दो भागों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली होनी चाहिए तथा संबंधित भाग के कम से कम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल में होनी चाहिए।

और यहकि यह भी देखा गया है कि कुछ मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी के स्थान पर या चीनी के अतिरिक्त अनुमत कृत्रिम मधुरकों (आर्टिफिशियल स्वीटनर) का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पैकेज पर इसकी जानकारी नहीं दी जाती। इससे उपभोक्ता, विशेषकर मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति और वे लोग जो कृत्रिम मधुरकों के सेवन को नियंत्रित करते हैं, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए लोक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के हित में किसी भी मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ की तैयारी में कृत्रिम मधुरक के उपयोग की स्पष्ट घोषणा पैकेज पर किया जाना आवश्यक है।

और यहकि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विनियम 2.1.8 के मानक के अनुरूप न होने वाले और "घी" शब्द का प्रयोग करने वाले उत्पाद, उनकी वास्तविक प्रकृति के बारे में उपभोक्ताओं को भ्रमित करने, उनकी संरचना और पोषण संबंधी गुणवत्ता की कोई सुनिश्चितता न होने तथा मिलावट और गलत तरीके से बिक्री को बढ़ावा देने के कारण राज्य के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए अधिनियम की धारा 30(2)(क) के तहत ऐसे गैर-अनुरूप उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर, "घी" नाम या विवरण के अंतर्गत किसी भी रूप में, पूरे राज्य में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक और उचित है। मिठाइयों पर लागू लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं के कड़ाई से पालन के लिए निर्देश देना भी लोक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के हित में आवश्यक है।

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) को धारा 18 और 29 के साथ पढ़ते हुए (खंड 2 और 3 में दिए गए प्रतिबंधों के संबंध में), तथा अधिनियम की धारा 18 और 29 को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के साथ पढ़ते हुए (खंड 4 और 5 में दिए गए निर्देशों के संबंध में), तथा इस संबंध में मुझे प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. मनोज कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, हरियाणा, राज्य भर के सभी संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिए यह आदेश जारी करता हूँ:

1. परिभाषाएं

इस आदेश के प्रयोजन के लिए "घी" से आशय उस उत्पाद से है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.8 में निर्धारित घी के मानक के अनुरूप हो। इसमें वनस्पति तेल, वनस्पति वसा, वनस्पति अथवा किसी अन्य गैर-दुग्ध वसा से पूर्णतः या आंशिक रूप से तैयार कोई भी उत्पाद शामिल नहीं होगा, चाहे उसका नाम या विवरण कुछ भी हो अथवा उसके साथ कोई उपसर्ग या प्रत्यय लगाया गया हो।

2. गैर-अनुरूप उत्पादों के लिए "घी" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध

हरियाणा राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी उत्पाद का विनिर्माण, तैयारी, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, वितरण (परिवहन सहित), थोक या फुटकर विक्रय, बिक्री के लिए प्रस्तुतीकरण, विज्ञापन या विक्रय नहीं करेगा जिसे "घी" के रूप में या ऐसे किसी नाम, विवरण, लेबल, चिह्न, रूप या प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए जिसमें "घी" शब्द पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल हो, उसका संकेत मिले या उसका अर्थ निकलता हो। यह प्रतिबंध स्पष्ट और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रयोगों पर लागू होगा, चाहे "घी" अकेले हो या किसी उपसर्ग, प्रत्यय, अर्हक शब्द अथवा अन्य प्रयोग के साथ, जैसे "पूजा हेतु घी", "दीया हेतु घी", "वनस्पति घी", "कुकिंग घी", "टेबल घी", "हवन हेतु घी" अथवा कोई समान अभिव्यक्ति। इसमें ऐसे उत्पाद को रासायनिक पदार्थों, सुगंध, रंग या कणिकायन कारकों की सहायता से वास्तविक घी के रूप-रंग, सुगंध या बनावट की नकल करते हुए तैयार करना भी शामिल है। ऐसा उत्पाद तभी "घी" के नाम से बनाया या बेचा जा सकेगा जब वह विनियम 2.1.8 में निर्धारित घी के मानक का पूरी तरह पालन करता हो। इस प्रतिबंध में किसी अस्वीकरण, घोषणा या चिह्न के आधार पर कोई छूट नहीं होगी, जिसमें विनियम 5(15) के तहत निर्धारित चिह्न भी शामिल है। यह प्रतिबंध इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक पूरे हरियाणा राज्य में लागू रहेगा। इस खंड का उल्लंघन करने वाला कोई भी उत्पाद, जो बनाया, रखा, बेचा, बिक्री के लिए प्रस्तुत, वर्णित या मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल किया गया हो, अधिनियम की धारा 26 और 52 के तहत, यथास्थिति, गलत लेबल वाला और असुरक्षित खाद्य पदार्थ मानकर कार्रवाई के अधीन होगा तथा अन्य लागू दंडात्मक प्रावधान भी लागू होंगे।

3. मार्जरीन/वनस्पति वसा स्प्रेड को "बटर" अथवा "मक्खन" के रूप में बेचने पर प्रतिबंध

हरियाणा राज्य में किसी दुकान, मिठाई की दुकान, ढाबे, रेस्तरां, कैटरिंग प्रतिष्ठान या किसी अन्य बिक्री स्थल पर, पैक या खुले/ढीले रूप में, किसी मार्जरीन, वनस्पति वसा स्प्रेड, वनस्पति-तेल-आधारित स्प्रेड या अन्य गैर-दुग्ध वसा उत्पाद को "बटर" या "मक्खन" के रूप में, अथवा ऐसे किसी नाम, विवरण, चिह्न, रूप या प्रस्तुति के माध्यम से जो इन शब्दों का संकेत देता हो, बेचा, परोसा या उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जब तक कि वह विनियम 2.1.8 में निर्धारित मानक के अनुरूप वास्तविक बटर न हो। मार्जरीन या वनस्पति वसा स्प्रेड का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवेषण या विक्रय करने वाला प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता, चाहे उत्पाद पैक हो या खुला, उसे बिक्री या परिवेषण स्थल पर स्पष्ट और अलग रूप से "मार्जरीन" अथवा "वनस्पति वसा स्प्रेड—बटर/मक्खन नहीं" के रूप में लेबल या प्रदर्शित करेगा, ताकि उपभोक्ता उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में भ्रमित न हो। इस प्रतिबंध में किसी अस्वीकरण, प्रथा या व्यापारिक परंपरा के आधार पर कोई छूट नहीं होगी। यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वाला उत्पाद अधिनियम की धारा 26 और 52 के तहत, यथास्थिति, गलत लेबल वाला और असुरक्षित खाद्य पदार्थ मानकर कार्रवाई के अधीन होगा तथा अन्य लागू दंडात्मक प्रावधान भी लागू होंगे।

4. मिठाइयों की लेबलिंग—तैयारी का माध्यम

लड्डू और घेवर सहित पूर्व-पैकेजित मिठाइयों का विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण या विक्रय करने वाला प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पैकेज पर मिठाई तैयार करने में प्रयुक्त वास्तविक माध्यम का स्पष्ट और प्रमुख उल्लेख हो—यथास्थिति, "देसी घी में तैयार" अथवा "वनस्पति वसा/वनस्पति तेल में तैयार"—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियम 2.5.1 के अनुसार। यह स्पष्ट किया जाता है कि "देसी घी" शब्द का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इस नाम से वर्णित सामग्री विनियम 2.1.8 में निर्धारित घी के मानक के अनुरूप हो। यह घोषणा डिब्बे/पैकेज के कम से कम दो पक्षों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली हो तथा संबंधित पक्ष के क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत भाग में हो।

5. कृत्रिम मधुरकों की घोषणा

कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता जो ऐसी मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण या विक्रय करता है जिसमें चीनी के स्थान पर या चीनी के अतिरिक्त, पूर्णतः या आंशिक रूप से कोई अनुमत कृत्रिम मधुरक इस्तेमाल किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि पैकेज पर लागू लेबलिंग प्रावधानों के अनुसार "कृत्रिम मधुरक(कों) से निर्मित" की स्पष्ट घोषणा तथा प्रयुक्त कृत्रिम मधुरक(कों) के नाम प्रमुखता से अंकित हों। [टिप्पणी: राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व विभाग द्वारा कृत्रिम मधुरक संबंधी घोषणा को नियंत्रित करने वाले सटीक विनियम/उप-विनियम की संख्या की पुष्टि कर उसे शामिल किया जाए।] ऐसी घोषणा न करने पर संबंधित खाद्य पदार्थ अधिनियम की धारा 52 के तहत गलत लेबल वाला खाद्य पदार्थ मानकर कार्रवाई के अधीन होगा।

6. शास्त्रियां और परिणाम

इस आदेश का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के लागू दंडात्मक प्रावधानों, जिनमें धारा 50, 51, 52, 53 और 59 शामिल हैं, के तहत दंडनीय होगा। उल्लंघनकारी खाद्य पदार्थ को कानून के अनुसार जब्त कर नष्ट भी किया जा सकेगा।

7. प्रारंभ और अवधि

खंड 2 और 3 में दिए गए प्रतिबंध इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे और उस तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि उन्हें कानून के अनुसार इससे पहले वापस, संशोधित या विस्तारित न किया जाए। खंड 4 और 5 में दिए गए निर्देश प्रकाशन/निर्गमन की तारीख से लागू होंगे और कानून के अनुसार संशोधित, वापस या प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में जारी किया जा रहा है। अनुवाद में किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में, इस निषेध आदेश का अंग्रेज़ी संस्करण ही अंतिम माना जाएगा।

डॉ. मनोज कुमार,
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 17th August, 2026

No. 3/14-3Food-II-2026/6027.—

Subject: Prohibition on manufacture, storage, distribution (including transportation) and sale of any product labelled, described, offered or sold as “Ghee” — with or without any prefix, suffix or other qualifying usage — unless such product conforms to the Standard for Ghee prescribed under Regulation 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in the State of Haryana for a period of one year under Section 30(2)(a) of the Food Safety and Standards Act, 2006; and directions for compliance with labelling requirements applicable to pre-packaged sweets, in the interest of public health and consumer protection.

WHEREAS, the availability of safe and wholesome food, and of accurate information relating thereto, is an integral facet of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, and Article 47 of the Constitution enjoins upon the State, as a primary duty, the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health; and the Hon’ble Supreme Court of India has held that there is a paramount duty cast upon the State and its authorities to ensure an appropriate level of protection of human life and health, the same being a fundamental right under Article 21 read with Article 47 of the Constitution;

AND WHEREAS, Section 18(1) of the Food Safety and Standards Act, 2006 (hereinafter referred to as “the Act”) sets out the general principles to be followed in the administration thereof, including the achievement of an appropriate level of protection of human life and health and the protection of consumers’ interests, including fair practices in all kinds of food trade, and the requirement that regulatory measures be proportionate and no more restrictive of trade than is required to achieve the appropriate level of health protection;

AND WHEREAS, Section 30(2)(a) of the Act empowers the Commissioner of Food Safety of the State, in the interest of public health and for reasons to be recorded in writing, by notification in the Official Gazette, to prohibit the manufacture, storage, distribution or sale of any article of food in the whole of the State or any area thereof for such period not exceeding one year as may be specified, where there exist reasonable grounds for believing that such article of food is likely to be unsafe or injurious to health;

AND WHEREAS, the Standard for Ghee is prescribed under Regulation 2.1.8 (Standard for Milk Fat Products) of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which provides that milk fat, ghee, butter oil, anhydrous milk fat and anhydrous butter oil are fatty products derived exclusively from milk or products obtained from milk, and that Ghee shall conform to prescribed limits of moisture (maximum 0.5%), milk fat (minimum 99.5%), Butyrefractometer reading, Reichert Meissl value, Polenske value, free fatty acids, iodine value, saponification value, fatty acid composition and absence of β -sitosterol, these parameters being specifically designed to detect and exclude the presence of vegetable oil or any other non-milk fat;

AND WHEREAS, as per Regulation 2.1.1(3)(f) of the said Regulations (General Standards for Milk and Milk Products), dairy terms — which include the word “Ghee”, being both a defined milk product under Regulation 2.1.1(1)(f) and a name specified for a milk product under Regulation 2.1.8 — shall not be used, whether alone or in combination with any other word, in the name, label, commercial document, publicity material or point-of-sale presentation of any product which is not milk, a milk product or a composite milk product; and where a product is intended to substitute a milk product, dairy terms shall not be used at all, irrespective of any accompanying disclaimer, qualification, prefix or suffix;

AND WHEREAS, it has been observed that products prepared wholly or partly from vegetable oil, vegetable fat, vanaspati or other non-milk-derived fat are, in numerous instances, being manufactured, packed, distributed and sold in the State under names, descriptions or labels bearing the word “Ghee” together with various prefixes, suffixes or qualifying usages — including, illustratively, “Ghee for Pooja”, “Ghee for Diya”, “Vanaspati Ghee”, “Cooking Ghee”, “Table Ghee” and “Ghee for Havan” — notwithstanding that such products do not conform to, and make no claim to conform to, the compositional Standard for Ghee prescribed under Regulation 2.1.8;

AND WHEREAS, it has further been observed that certain Food Business Operators are preparing a substance from vegetable oils and plant fats, admixed with chemical agents, essences and granulating agents so as to artificially replicate the granular appearance, aroma and organoleptic characteristics of genuine Ghee, and are packing, storing, distributing, offering for sale and selling such substance under deceptive misnomers such as “Ghee for Diya” or “Ghee for Pooja”, while, in truth, storing and passing off the same, and selling the same to unsuspecting and gullible consumers, as genuine Ghee, and using the same in the preparation of sweets in the manner of, and in substitution for, genuine Ghee; and such practice, being a deliberate and calculated deception as to the true nature, composition and origin of the product, is gravely injurious to the health and economic interests of consumers and constitutes a fraud upon the public; and accordingly no such chemically prepared, non-milk-fat substance shall be named, described, labelled, marketed, advertised, stored or sold as “Ghee”, or by any name, mark, device, appearance or representation suggestive of “Ghee”, whether explicitly or implicitly, and in whatever form or context, including under the guise of “Ghee for Diya”, “Ghee for Pooja” or any similar expression;

AND WHEREAS, such use of the word “Ghee”, in any form, for a product not derived exclusively from milk fat deceives the consumer as to the true nature and substance of the product, is not capable of being reliably distinguished from genuine Ghee by the consumer at the point of sale without laboratory analysis, provides no assurance of the nutritional and compositional characteristics of genuine milk fat, and is inherently prone to being passed off as, and to facilitating adulteration of, genuine Ghee, in a manner directly analogous to the practices observed in respect of analogue/non-dairy paneer;

AND WHEREAS, it has similarly been observed that margarine or plant fat spread, being a product prepared from vegetable oils and fats and not derived from milk, is being manufactured, stored, distributed and sold unpacked or loose, without any label, mark or declaration disclosing its true nature, at retail outlets, sweet shops, dhabas and catering establishments, and is being represented, offered, served and passed off to unsuspecting consumers as “butter” or “Makkhan”, (particularly with paranthas) notwithstanding that such product does not conform to, and makes no claim to conform to, the compositional standard prescribed for butter under the said Regulations; and such practice, being a deliberate misrepresentation as to the true nature and composition of the product, is gravely injurious to the health and economic interests of consumers and constitutes a fraud upon the public, in a manner directly analogous to the practices observed in respect of Ghee;

AND WHEREAS, it has been observed that the labelling of pre-packaged foods, particularly sweets of all kinds including laddoo and Ghewar offered for sale, may sometimes not adequately reflect the ingredients or medium used in their preparation, such sweets being sold to consumers as prepared in Desi Ghee when they are, in fact, prepared with other types of fats including refined oil, vegetable oil or otherwise;

AND WHEREAS, as per Regulation 2.5.1 of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, where ingredients such as Desi Ghee, Vegetable Fat or Vegetable Oil are used in the preparation of sweets including laddoo or Ghewar, the package is required to prominently indicate the appropriate statement regarding the medium of preparation, namely “Prepared in Desi Ghee” or “Prepared in Vegetable Fat/Vegetable Oil”, as applicable, together with the corresponding Hindi declaration prescribed under the said Regulation; [be re-inserted in correct Unicode Devanagari by the department before Gazette publication]

AND WHEREAS, such declaration is required to be displayed prominently on at least two sides of the box/package, in a manner that is clearly visible and easily readable by consumers, and shall occupy not less than 25% of the area of the respective side of the loose & sealed box on which it is displayed;

AND WHEREAS, it has further been observed that certain sweets and other food articles are being prepared using permitted artificial sweeteners in place of, or in addition to, sugar, without any declaration thereof on the package, thereby depriving consumers — including diabetics and other persons who monitor or restrict their intake of artificial sweeteners — of information material to an informed choice, and it is necessary, in the interest of public health and consumer protection, that the use of any artificial sweetener in the preparation of any sweet or other food article be clearly declared on the package thereof;

AND WHEREAS, upon consideration of the material placed before the undersigned, I am satisfied that products bearing the word “Ghee”, in any form, which do not conform to the Standard prescribed under Regulation 2.1.8, present a risk to the interests and health of consumers of the State by reason of deception as to the true nature of the product, the absence of any assurance of compositional and nutritional integrity, and the facilitation of adulteration and passing-off; and that a prohibition on the manufacture, storage, distribution and sale of any such non-conforming product under the name or description “Ghee”, in whatever form, throughout the State for a period not exceeding one year, in exercise of the powers under Section 30(2)(a) of the Act, is necessary and proportionate; and that directions for strict compliance with the labelling requirements applicable to sweets are further necessary in the interest of public health and consumer protection;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 30(2)(a) read with Sections 18 and 29 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (as regards the prohibition in Clause 2 below), and under Sections 18 and 29 of the Act read with the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (as regards the directions in Clauses 3 and 4 below), and all other powers enabling the undersigned in this behalf, I, Dr Manoj Kumar, I.A.S., Commissioner, Food Safety, Haryana, do hereby issue this Order, binding upon all Food Business Operators concerned throughout the State of Haryana, as follows:

1. DEFINITIONS

For the purpose of this Order, “**Ghee**” means the product conforming to the Standard for Ghee prescribed under Regulation 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and does not include any product prepared wholly or partly from vegetable oil, vegetable fat, vanaspati or any other non-milk-derived fat, howsoever named, described, prefixed or suffixed.

2. PROHIBITION ON USE OF THE TERM “GHEE” FOR NON-CONFORMING PRODUCTS

No person shall manufacture, prepare (including by the addition of chemical agents, essences, colouring or granulating agents intended to replicate the appearance, aroma or texture of genuine Ghee), process, pack, store, distribute (including transport), wholesale sell, retail sell, offer or expose for sale, advertise, or sell by any means whatsoever, within the State of Haryana, any product as, or under any name, description, label, mark, device or representation that includes, suggests or implies, in whole or in part, the word “Ghee” — whether such inclusion, suggestion or implication is explicit or implicit, and in whatever form or context — whether alone or together with any prefix, suffix, qualifying word or usage whatsoever, including, illustratively, “Ghee for Pooja”, “Ghee for Diya”, “Vanaspati Ghee”, “Cooking Ghee”, “Table Ghee”, “Ghee for Havan”, or any like expression — unless such product conforms fully to the Standard for Ghee prescribed under Regulation 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This prohibition is absolute and shall not be discharged, satisfied or excused by any disclaimer, declaration or symbol, including the symbol prescribed under Regulation 5(15) of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020. This prohibition shall remain in force throughout the State of Haryana for a period of one year from the date of publication of this Order in the Official Gazette. Any product manufactured, stored, sold, offered for sale, described, or used in the preparation of sweets, in contravention of this Clause shall be liable to be dealt with as misbranded and unsafe, as applicable, under Sections 26 and 52 of the Act, in addition to any other applicable penal consequence.

3. PROHIBITION ON SALE OF MARGARINE/PLANT FAT SPREAD AS “BUTTER” OR “MAKKHAN”

No person shall manufacture, prepare, process, store, distribute (including transport), wholesale sell, retail sell, offer or expose for sale, serve or supply, whether packed or unpacked/loose, at any shop, sweet shop, dhaba, restaurant, catering establishment or point of sale whatsoever within the State of Haryana, any margarine, plant fat spread, vegetable-oil-based spread or other non-dairy fat product, as, or under any name, description, mark, device or representation that includes, suggests or implies, in whole or in part, the word “Butter” or “Makkhan” — whether such inclusion, suggestion or implication is explicit or implicit, by way of appearance, colour, shape, moulding, container, signage, menu description, verbal representation or otherwise — unless such product is genuine butter conforming to the standard prescribed under Regulation 2.1.9 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. Every Food Business Operator manufacturing, storing, distributing, serving or selling margarine or plant fat spread, whether packed or unpacked, shall keep such product visibly and separately labelled or

displayed as “Margarine” or “Vegetable Fat Spread — Not Butter/Not Makkhan”, as applicable, at the point of sale or service, so that the consumer is not misled as to its true nature. This prohibition is absolute and shall not be discharged, satisfied or excused by any disclaimer, declaration, custom or trade usage to the contrary, and shall remain in force throughout the State of Haryana for a period of one year from the date of publication of this Order in the Official Gazette. Any product manufactured, stored, served, offered for sale, described, or sold in contravention of this Clause shall be liable to be dealt with as misbranded and unsafe, as applicable, under Sections 26 and 52 of the Act, in addition to any other applicable penal consequence.

4. LABELLING OF SWEETS — MEDIUM OF PREPARATION

Every Food Business Operator manufacturing, packing, storing, distributing or selling pre-packaged sweets, including laddoo and Ghewar, shall ensure that the package prominently indicates the true medium of preparation, in the form “Prepared in Desi Ghee” or “Prepared in Vegetable Fat/Vegetable Oil”, as applicable, in accordance with Regulation 2.5.1 of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, it being clarified that the term “Desi Ghee” may be used only where the ingredient so described conforms to the Standard for Ghee prescribed under Regulation 2.1.8. Such declaration shall be displayed on at least two sides of the box/package, shall be clearly visible and easily readable, and shall occupy not less than 25% of the area of the respective side of the box on which it is displayed.

5. DECLARATION OF ARTIFICIAL SWEETENERS

Every Food Business Operator manufacturing, packing, storing, distributing or selling any sweet or other food article in the preparation of which any permitted artificial sweetener has been used, whether wholly or partly in place of sugar or in addition thereto, shall ensure that the package prominently bears the declaration “Made with Artificial Sweetener(s)”, together with the name(s) of the artificial sweetener(s) used, in the manner required under the applicable labelling provisions of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020. Failure to make such declaration shall render the article liable to be dealt with as misbranded under Section 52 of the Act.

6. PENALTIES AND CONSEQUENCES

Any contravention of this Order shall be punishable under the applicable penal provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006, including Sections 50, 51, 52, 53 and 59, and shall render the offending article liable to seizure and destruction in accordance with law.

7. COMMENCEMENT AND DURATION

The prohibitions in Clauses 2 and 3 shall come into force on the date of publication of this Order in the Official Gazette and shall remain in force for a period of one year from that date, unless earlier rescinded, modified or extended in accordance with law. The directions in Clauses 4 and 5 shall come into force on the date of publication/issuance and shall remain in force until modified, rescinded or superseded in accordance with law.

This Order is hereby issued in the interest of protecting public health and ensuring the availability of safe food to consumers of Haryana State. In stage of any conflict in translation, the English version of this prohibition order shall be final.

DR MANOJ KUMAR,
Commissioner, Food Safety,
Haryana.